अपील सूचना अधिकार संख्या 48/2017 अनवानी तिलकराज, क्वॉटर नं. टाईप 2/32 श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कैम्पस, नई दिल्ली–110016 बनाम उपजिला कलक्टर, अनूपगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31–07–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री तिलकराज उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री तिलकराज़ ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 13.02.2017 के द्वारा जन सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

1. पौंग डैम औस्ती के अन्तर्गत कितने लोंगो को भूमि आवंटित की गई है। उसकी संख्या बताई जावे।
2. विजय नगर में चक संखया 21 पी मुरब्बा नम्बर 59/1 यह जमीन किसके नाम आवंटित की गई थी उसका नाम तथा आवंटित पत्र की प्रति उपलब्ध कराई जाये।
3. आंवटित जमीन के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई थी और राशि को कितने समय सीमा मे जमा कराना था तथा राशि, समय सीमा पर जमा न करने पर क्या जुर्माना नियम आदि थे उन आदेशो की प्रति उपलब्ध कराई जाए।

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 13.02.17 के द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से सूचनांए चाही थी किन्तु उनके द्वारा आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी विजयनगर को भिजवा दिया गया और उपखण्ड अधिकारी विजयनगर ने आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ को भिजवा दिया। समय अवधि पूर्ण होने पर भी उसे सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे स्पष्ट रूप से उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने अपना प्रतिवेदन संख्या 106 दिनांक 30.06.17 प्रस्तुत किया है कि उन्हें अपीलार्थी का आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के पत्र सं0 939 दिनांक 09.03.17 के द्वारा प्राप्त हुआ है जिसके सन्दर्भ में उनके कार्यालय के पत्र सं0 65 दिनांक 06.04.17 के द्वारा सूचना उपलब्ध करवा दी गई है।

उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने अपने पत्र सं0 65 दि0 06.04.17 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई है:–

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने हेतू प्रा0 पत्र मे जो सूचना चाही गई है निम्न प्रकार से है।

बिन्दु सं0 1 इस कार्यालय में उपलब्ध नही है।
बिन्दु सं0 2 चक 21 पी का मु0न0 59/1 बोकू पुत्र शीबू सा0 हलेर तहसील देहरा, जिला कांगडा को आवंटित है।
बिन्दु सं0 3 में चाही गई सूचना मूल आवटंन पत्रावली की चित्र प्रति सलंग्न कर भिजवायी जा रही है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार बिन्दु सं0 2 व 3 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है बिन्दु सं0 1 की सूचना उनके कार्यालय में उपलब्ध नही होने से अपीलार्थी को उपलब्ध नही करवाई गई है वैसे भी अपीलार्थी द्वारा बिन्दु सं0 1 की सूचना प्रश्नात्मक रूप में चाही है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ का उक्त उत्तर दिनांक 06.04.17 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है आरः **अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1563-69
12-8-17

यह आदेश आज दिनांक 31.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर